उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

12 मई, 2022 ई0

सं0 F-9(32)(i)/RG/UERC/2022/213: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और टैरिफ नीति, 2016 के पैरा 5.3 के अनुसार और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 (मुख्य विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है, अर्थात् :–

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2 मुख्य विनियम के विनियम 2 (2) में संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 2 के उप–विनियम (2)(a) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः अर्थात् :–

उत्पादक स्टेशन और पारेषण प्रणाली जिनका शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात किया गया है और अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा अंगीकृत किया गया है।

3 मुख्य विनियम के विनियम 58 में संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 58(1) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया हैः

अर्थात् :–

बशर्ते कि सभी नई राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली जिनकी लागत एक प्रारंभिक सीमा से अधिक हो और जो परिशिष्ट–VI में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करती हां वह टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकसित की जाएगी।

4 मुख्य विनियम में परिशिष्ट–VI को निम्नानुसार जोड़ा गया है: अर्थात्:–

परिशिष्ट–VI

(टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकसित की जाने वाली राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के लिए प्रारंभिक सीमा)

[विनियम 58(1) के परन्तुक का संदर्भ लें]

(1) आयोग द्वारा राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से विकसित किये जाने हेतु प्रारंभिक सीमा के निर्धारण हेतु परामर्श पत्र पर प्राप्त सुझावों को संज्ञान में लेते हुए एतद्द्वारा प्रारंभिक सीमा रू0 100 करोड़ (रू0 सौ करोड़) निर्धारित की गयी है, सभी नई राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली (नई एवं संवर्धन) जिनकी लागत रू0 100 करोड़ (रू0 सौ करोड़) या उससे अधिक होगी उसको राज्य सरकार/राज्य पारेषण इकाई द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

(2) यह प्रारंभिक सीमा उन सभी नई राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली (परियोजनाओं) के लिए लागू होगी जिनके लिए आयोग द्वारा अभी तक अनुमोदन नहीं दिया गया है।

(3) संपूर्ण राज्यान्तर्गत स्वतंत्र पारेषण प्रणाली को किसी भी अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम परियोजना सहित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से परियोजना के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए एकल परियोजना के रूप में डिजाईन किया जाएगा।

(4) यदि राज्य सरकार/राज्य पारेषण इकाई द्वारा किसी राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली जिसकी लागत प्रारंभिक सीमा से अधिक है उसको कुछ विशिष्ट कारणों जैसे कि परियोजना महत्वपूर्ण प्रकृति की है या उसके स्वामित्व या इंटरफेस आधारित कोई मुद्दा है ऐसी परियोजना को कॉस्ट प्लस दृष्टिकोण के माध्यम से स्वयं करने कि स्थिति में, राज्य सरकार/राज्य पारेषण इकाई को ऐसी किसी भी परियोजना हेतु आयोग से पुर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/467–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।